बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–NHM/BHDS/71/2025–बाoविoमिo-22- /कृ०, पटना, दिनांक:09/05/ ,2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 450.76000 लाख (चार करोड़ पचास लाख छिहत्तर हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कुल 450.76000 लाख (चार करोड़ पचास लाख छिहत्तर हजार) रूपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का सूत्रण कृषकों को बागवानी के नई तकनीकों एवं इससे संबंधित योजनाओं से अवगत कराते हुए बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों के आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया है।
3. चतुर्थ कृषि रोड मैप में सन्निहित कार्यक्रमों/अवयवों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025–26 में "एकीकृत बागवानी विकास मिशन" की कार्य योजना State Level Sanctioning Committee (SLSC) से दिनांक 28.04.2025 को तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक– F.No.03/ 03/2025-KY दिनांक 17.03.2025 द्वारा अनुमोदित है।
4. वित्तीय वर्ष 2025–26 में एकीकृत बागवानी मिशन अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना पर कुल 450.76000 लाख (चार करोड़ पचास लाख छिहत्तर हजार) रूपये मात्र जिसमें केन्द्रांश 270.45600 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार छः सौ) रूपये एवं राज्यांश 180.30400 लाख (एक करोड़ अस्सी लाख तीस हजार चार सौ) रूपये मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत योजना से संबंधित विस्तृत अनुसूची–1, 2.1, 2.2 एवं 2.3 के रूप में संलग्न है।
5. एकीकृत बागवानी मिशन अन्तर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार–प्रसार योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराया जाएगा।

6. इस योजनान्तर्गत अवयवार विवरणी निम्नवत् है :—

(a) **राज्य के बाहर परिभ्रमणः—** यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है, जिसके तहत् कृषकों को राज्य के बाहर अवस्थित बागवानी से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में सात दिवसीय (यात्रा अवधि सहित) परिभ्रमण कराया जाएगा।

उक्त कार्यक्रम हेतु वैसे कृषक का चयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा, जो DBT पोर्टल पर पंजीकृत हो एवं जिन्हें पूर्व के पाँच वर्षों में किसी योजना के तहत् राज्य से बाहर नहीं भेजा गया हों।

(b) **राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार /कर्मशाला /प्रदर्शनीः—**

इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 5,00,000.00 (पाँच लाख) रूपये प्रति सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है। यह कार्यक्रम दो दिनों का होगा। इस अवयव का कार्यान्वयन निदेशक उद्यान, बिहार के द्वारा कराया जाएगा।

(c) **राज्य स्तरीय सेमिनार/ कर्मशाला/प्रदर्शनीः—** इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 3,00,000.00 (तीन लाख) रूपये प्रति सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है। यह कार्यक्रम दो दिनों का होगा। इस अवयव का कार्यान्वयन निदेशक उद्यान, बिहार के द्वारा कराया जाएगा।

(d) **जिला स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनीः—** इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये प्रति सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है। यह कार्यक्रम दो दिनों का होगा। इस अवयव का कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा कराया जाएगा।

(e) **प्रचार सामग्री एवं विज्ञापन के जरिए सूचना का प्रसारः—** इस कार्यक्रम हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये प्रति जिला इकाई लागत निर्धारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान है। इस अवयव का कार्यान्वयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा कराया जाएगा।

(f) **राज्य स्तर पर विशेषज्ञों को रखने के लिए तकनीकी सहायता समूह (TSG):—** यह कार्यक्रम परियोजना आधारित है, जिसपर शत् प्रतिशत अनुदान अधिकतम 50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। इस अवयव का कार्यान्वयन निदेशक उद्यान, बिहार के द्वारा कराया जाएगा।

(g) **मिशन प्रबंधनः—** राज्य एवं जिला कार्यालयों के विभिन्न क्रिया—कलापों के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व्यय, परियोजना की तैयारी, कंप्यूटरीकरण और आकस्मिकता इत्यादि के लिए वार्षिक व्यय का 2.5 प्रतिशत राशि का प्रावधान वार्षिक कार्य योजना में किया गया है। मिशन प्रबंधन की राशि का लक्ष्य जिलों के एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप निदेशक, उद्यान द्वारा संबंधित जिला को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद की राशि की विमुक्ति के पश्चात् ही राज्यांश की राशि का आवंटन एवं निकासी की जायेगी।

8. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में संसूचित बजट उपबंध के अधीन अनुमोदित Cost Norms के अनुरूप किया जायेगा।

9. बागवानी मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव, सहायक निदेशक उद्यान होंगे।

10. इस योजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची– 2.1, 2.2 एवं 2.3 के रूप में संलग्न है। इस योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची– 2.1, 2.2, एवं 2.3 के आलोक में मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार एवं सभी जिलों के सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा।

11. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। DBT पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों का चयन सहायक निदेशक उद्यान के द्वारा किया जायेगा। राज्य से बाहर Exposure Visit हेतु वैसे कृषक का चयन किया जायेगा जिन्हें पूर्व के पाँच वर्षों में किसी योजना के तहत राज्य से बाहर नहीं भेजा गया हो।

12. प्रावधानित बजट के आलोक में सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 83.903 प्रतिशत, 15.00 प्रतिशत एवं 1.097 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो।

13. भारत सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में योजनान्तर्गत राशि का लाभ DBT-IN-KINDS/DBT-IN-CASH के रूप में संबंधित को सीधे उनके बैंक खाता में SNA SPARSH के माध्यम से राशि की निकासी कर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

14. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप केन्द्रांश की राशि एवं राज्यांश की राशि ट्रेजरी मोड में वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निदेशक उद्यान, बिहार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि को SNA Sparsh के माध्यम से व्यय किया जायेगा। मिशन निदेशक के द्वारा केन्द्रांश एवं समानुपतिक राज्यांश की राशि का लिमिट व्यय हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को लक्ष्य के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत आय–व्यय की लेखा संधारण में PFMS के EAT Module का उपयोग किया जायेगा।

16. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन वित्तीय सीमा के अन्दर प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

17. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), बिहार, पटना। को स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से 18 माह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना होंगे।

20. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0224–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190224, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0224–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	4363.14	226.92070
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0235–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890235, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0235–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	780.00	40.56840
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0257–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960257, पी०एफ०एम०एस० कोड– 4138, विषय शीर्ष 0257–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	57.06	2.96690
योग	**5200.20**	**270.45600**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 119– बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0324–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401001190324, पी०एफ०एम०एस० कोड–4138, विषय शीर्ष 0324–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	742.01	151.28047
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0335–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007890335, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0335–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	520.00	27.04560
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि–कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0357–राष्ट्रीय बागवानी मिशन (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड 01–2401007960357, पी.एफ.एम.एस. कोड– 4138, विषय शीर्ष 0357–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	38.04	1.97793
योग	**1300.05**	**180.30400**
कुल योग	**6500.25**	**450.76000**

21. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक 13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक–30.04.2025 को आयोजित बैठक में प्राप्त है। योजना प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/71/2025 के पृ0सं0–21/टि. पर दिनांक– 07.05.2025 को प्राप्त है।

22. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– NHM/BHDS/71/2025 के पृष्ठ संख्या–23 / टि० पर दिनांक–08.05.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–300 दिनांक–08.05.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/5
(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/71/2025–पी०पी०एम०-22- / कृ०, पटना, दिनांक: 09/05 /2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/71/2025–पी०पी०एम०-22- / कृ०, पटना, दिनांक: 09/05 /2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/71/2025–पी०पी०एम०-22- / कृ०, पटना, दिनांक: 09/05 /2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/71/2025–पी०पी०एम०-22- / कृ०, पटना, दिनांक: 09/05 /2025

प्रतिलिपि : संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/71/2025–पी०पी०एम०-22- / कृ०, पटना, दिनांक: 09/05 /2025

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना / निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, पटना / सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) / संबंधित उप निदेशक, उद्यान / संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, बिहार, पटना / मुख्यालय

स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, (सचिवालय एवं निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– NHM/BHDS/71/2025–कृ०नि०उ०-22- /कृ०, पटना, दिनांक:09/05 /2025

प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Sarita\Yojna 25-26\Puja Mam\yojana\saction order\MIDH Training 450.76.doc

अनूसुची–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना का कार्य योजना									
									(राशि लाख रूपये में)
क्र० सं०		अवयव	इकाई लागत प्रति कृषक/ सेमिनार/ कर्मशाला/ प्रदर्शनी/ प्रचार सामग्री	सहायता अनुदान का प्रतिशत	अनुदान की राशि प्रति कृषक/ सेमिनार/ कर्मशाला/ प्रदर्शनी/ प्रचार सामग्री	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
							केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		मानव संसाधन विकास							
1	(i)	राज्य के बाहर परिभ्रमण	परियोजना आधारित वास्तवीक खर्च	100%		0	33.00	22.00	55.00
		प्रचार प्रसार							
2	(i)	राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी	5.00	100%	5.00	1	3.00	2.00	5.00
	(ii)	राज्य स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी	3.00	100%	3.00	1	1.80	1.20	3.00
	(iii)	जिला स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी	2.00	100%	2.00	38	45.60	30.40	76.00
	(iv)	प्रचार सामग्री एवं विज्ञापन के जरिए सूचना का प्रसार	1.00	100%	1.00	38	22.80	15.20	38.00
	(v)	राज्य स्तर पर विशेषज्ञों को रखने के लिए तकनीकी सहायता समूह (TSG)	परियोजना आधारित अधिकतम 50 लाख रूपयें	100%	-	0	30.00	20.00	50.00
		मिशन प्रबंधन							
3		राज्य एवं जिला मिशन कार्यालय हेतु प्रशासनिक खर्च	एम.आई.डी.एच का वार्षिक कार्य योजना का 2.065 प्रतिशत	100%	223.76	0	134.26	89.50	223.76
		कुल				**78**	**270.46**	**180.30**	**450.76**

(राकेश कुमार)

(अभिषेक कुमार)

अनूसुची–2.1

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	राज्य के बाहर परिभ्रमण				राष्ट्रीय स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी				राज्य स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी			
		भौतिक लक्ष्य	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	निदेशक उद्यान, बिहार	-	33.00000	22.00000	55.00000	1.00	3.00000	2.00000	5.00000	1.00	1.80000	1.20000	3.00000
	कुल	-	**33.00000**	**22.00000**	**55.00000**	**1.00**	**3.00000**	**2.00000**	**5.00000**	**1.00**	**1.80000**	**1.20000**	**3.00000**

([illegible])

(अभिषेक कुमार)

अनूसुची–2.2

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	जिला स्तरीय सेमिनार/कर्मशाला/प्रदर्शनी				प्रचार सामग्री एवं विज्ञापन के जरिए सूचना का प्रसार				राज्य स्तर पर विशेषज्ञों को रखने के लिए तकनीकी सहायता समूह (TSG)		
		भौतिक लक्ष्य	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	भौतिक लक्ष्य	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	1.00	1.20000	0.80000	2.00000	1.00	0.60000	0.40000	1.00000	-	-	-
39	निदेशक उद्यान, बिहार		-	-	-		-	-	-	30.00000	20.00000	50.00000
	कुल	**38.00**	**45.60000**	**30.40000**	**76.00000**	**38.00**	**22.80000**	**15.20000**	**38.00000**	**30.00000**	**20.00000**	**50.00000**

(राकेश कुमार)

अनूसुची–2.3

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण, परिभ्रमण तथा प्रचार प्रसार योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य विवरणी

(भौतिक संख्या में एवं वित्तीय लाख रूपये में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	राज्य एवं जिला मिशन कार्यालय हेतु प्रशासनिक खर्च			कुल वित्तीय लक्ष्य		
				केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल राशि
		24	25	26	27	28	29	30	31
1	सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
2	सहायक निदेशक उद्यान, अरवल	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
3	सहायक निदेशक उद्यान, औरंगाबाद	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
4	सहायक निदेशक उद्यान, बाँका	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
5	सहायक निदेशक उद्यान, बेगुसराय	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
6	सहायक निदेशक उद्यान, भागलपुर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
7	सहायक निदेशक उद्यान, भोजपुर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
8	सहायक निदेशक उद्यान, बक्सर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
9	सहायक निदेशक उद्यान, दरभंगा	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
10	सहायक निदेशक उद्यान, गया	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
11	सहायक निदेशक उद्यान, गोपालगंज	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
12	सहायक निदेशक उद्यान, जमुई	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
13	सहायक निदेशक उद्यान, जहानाबाद	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
14	सहायक निदेशक उद्यान, कैमूर (भभुआ)	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
15	सहायक निदेशक उद्यान, कटिहार	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
16	सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
17	सहायक निदेशक उद्यान, किशनगंज	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
18	सहायक निदेशक उद्यान, लखीसराय	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
19	सहायक निदेशक उद्यान, मधेपुरा	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
20	सहायक निदेशक उद्यान, मधुबनी	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
21	सहायक निदेशक उद्यान, मुंगेर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
22	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
23	सहायक निदेशक उद्यान, नालंदा	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
24	सहायक निदेशक उद्यान, नवादा	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
25	सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
26	सहायक निदेशक उद्यान, पटना	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
27	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
28	सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
29	सहायक निदेशक उद्यान, रोहतास	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
30	सहायक निदेशक उद्यान, सहरसा	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
31	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
32	सहायक निदेशक उद्यान, सारण	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
33	सहायक निदेशक उद्यान, शेखपुरा	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
34	सहायक निदेशक उद्यान, शिवहर	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
35	सहायक निदेशक उद्यान, सीतामढ़ी	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
36	सहायक निदेशक उद्यान, सीवान	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
37	सहायक निदेशक उद्यान, सुपौल	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
38	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	2.00	3.00000	-	-		1.80000	1.20000	3.00000
39	निदेशक उद्यान, बिहार	2.00	113.00000	134.25600	89.50400	223.76000	202.05600	134.70400	335.76000
कुल		**78.00**	**227.00000**	**134.25600**	**89.50400**	**223.76000**	**270.45600**	**180.30400**	**450.76000**

(राकेश कुमार) (अभिषेक कुमार)